उत्तर प्रदेश शासन
अल्पसंख्यक कल्याण एवं वक्फ अनुभाग-1
संख्या-12/2020/72/बावन-1-2020-8(पी0एम0जे0वी0के0)/19 टी0सी0
लखनऊ: दिनांक 05 फरवरी, 2020

शुद्धि पत्र

शासनादेश संख्या-13/1019/369/बावन-1-2019-8(पी0एम0जे0वी0के0)/2019 दिनांक 08.03.2019 द्वारा विभिन्न जनपदों में स्वीकृत विभिन्न परियोजनाओं के निर्माण हेतु केन्द्रांश की प्रथम किश्त में 02-02 माह की धनराशि अवमुक्त की गयी है

2- उक्त शासनादेश के पृष्ठ संख्या-2 के क्रमांक-3 के स्तम्भ-5 तथा पृष्ठ संख्या-3 के क्रमांक-14 के स्तम्भ -5 में उल्लिखित पैकफेड के स्थान पर सी0एल0डी0एफ0 पढा जाय।

3- उक्त शासनादेश को इस सीमा तक संशोधित समझा जाय।

रवि शंकर मिश्र
उप सचिव।

संख्या-72(1)/बावन-1-2020-तद्दिनांक।
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित -

1- महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी) उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
2- महालेखाकार, (लेखा परीक्षा) प्रथम एवं द्वितीय उ0प्र0, इलाहाबाद।
3- बजट अधिकारी, वित्त विभाग, उ0प्र0 शासन।
4- अवर सचिव, अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय भारत सरकार 11वां तल, पर्यावरण भवन, सी0जी0ओ0 काम्पलेक्स लोधी रोड, नई दिल्ली।
5- प्रमुख सचिव, सम्बन्धित विभाग, उत्तर प्रदेश शासन को सम्बन्धित परियोजनाओं के निर्माण हेतु निर्धारित मानकों का अनुपालन करने एवं गुणवत्तापूर्ण निर्माण सुनिश्चित करने के सम्बन्ध में अपने स्तर से भी यथावश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें।
6- निजी सचिव, मा0मंत्री, अल्पसंख्यक कल्याण एवं हज को मा0 मंत्री जी के अवलोकनार्थ।
7- निजी सचिव, प्रमुख सचिव, अल्पसंख्यक कल्याण एवं वक्फ विभाग को प्रमुख सचिव महोदय के अवलोकनार्थ।
8- निदेशक, परियोजना से सम्बन्धित विभाग, लखनऊ ।
9- निदेशक, अल्पसंख्यक कल्याण निदेशालय उ0प्र0 लखनऊ।
10- प्रबन्ध निदेशक, **सी0एल0डी0एफ0** को इस आशय से प्रेषित कि प्रश्नगत परियोयजनाओं का निर्माण कार्य समयान्तर्गत एवं गुणवत्तापूर्ण रूप से सुनिश्चित करने का कष्ट करें।
11- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
12- जिलाधिकारी/ जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी, **सिद्धार्थनगर** ।
13- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 को तीन स्वच्छ प्रति तथा वित्त-ई-4 को 01 प्रति।

14- लेखाधिकारी/वेब अधिकारी, अल्पसंख्यक कल्याण निदेशालय, लखनऊ को इस आशय से प्रेषित कि उपरोक्त स्वीकृति अल्पसंख्यक कल्याण विभाग की वेबसाइट पर अपलोड करने का कष्ट करें।

15- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(रवि शंकर मिश्र)
उप सचिव।